तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	उनवान रामफूल बनाम सरकार
	धारा 88 व 188 RTA

मुकदमा नं0 16/2019 निर्णय दि0 4-6-21

4.6.21

पत्रावली निर्णय हेतु पेशी में ली गयी। वाद के तथ्यों, जवाब स्टेट व विद्यालय जवाबदावा तथा संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

वादी रामफूल ने ग्राम खेड़रपुर के खाता सं. 1 के ख. नं. 83 के .26 है. भूमि की खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों अनुसार प्रश्नगत भूमि वादी के भाई कजोड़ पुत्र मोहरपाल जाति मीणा की ~~आवंटन होकर~~ खातेदारी भूमि थी जिसे न्या. ADM के निर्णय दि. 6.5.82 द्वारा सिवायचक, कथित रूप से कजोड़ के लावारिस फौतहोने के आधार पर, घोषित की गयी। न्या. ADM के निर्णय की प्रति जयपुर व दौसा अभिलेखागार से प्राप्त नहीं हुयी है। कार्यालय जिला कलक्टर द्वारा दि. 13.5.19 को उक्त ख. नं. 83 में से .10 है. भूमि रा.प्रा.वि. खेड़रपुर हेतु आवंटित की गयी है।

प्रश्नगत भूमि का मौका देखा गया। ख. नं. 83 के .10 है. भूमि पर विद्यालय भवन, .03 है. (3 बिस्वा) है. भूमि पर वादी रामफूल का बोरिंग, पशुबाड़ा व आवास बना हुआ है। शेष .13 है. भूमि विद्यालय खेल मैदान व डामर सड़क बनी हुयी है।

वादी प्रश्नगत भूमि के खातेदार रहे कजोड़ का द्वितीय श्रेणी का वारिस है तथा अन्य किसी वारिस ने कोई दावेदारी पेश नहीं की है।

अतः वादी रामफूल का ख. नं. 83 के .03 है. भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार सिकराय को आदेशित किया जाता है कि ख. नं. 83 की .10 है. भूमि रा.प्रा.वि. खेड़रपुर के नाम (आवंटन के आधार पर) तथा शेष .13 है. भूमि को मौका स्थिति अनुसार खेल मैदान व सड़क के रूप में दर्ज करे।

निर्णय आज दि. 4.6.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय अनुसार डिक्री जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो।

(हस्ताक्षर)
(र0 लोटलिंगे)
4.6.21

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा